तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहक हुक्म में ज
13-2-2020	वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष को सुना गया। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 28-2-2020 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	
28-2-2020	वकील उभयपक्ष उप०। दावा वादीगण एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं०। बरूए राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय
कलेक्ट

मुकदमा
49/201
1. कंचन
2. बाबूल

1. परस
2. वाडा
तह
3. मंगल
4. सम्प
5. लैण्

उपस्थि

एवं प्र
449
745
वादी
अप
वाद
है।
को
का
है।

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर 49/2019 | तारीख रजू 26.4.2019 | तारीख निर्णय 28-2-2020

1. कंचन पुत्र सिट्टू, बैरवा निवासी छाहरा तह0 गंगापुर सिटी
2. बाबूलाल पुत्र सिट्टू, बैरवा निवासी छाहरा तह0 गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. परसादी पुत्र सिट्टू, बैरवा निवासी छाहरा तह0 गंगापुर सिटी
2. बाडा पुत्री मूल्या, बैरवा निवासी बैरवा बस्ती, कांकर की ढाणी विदरख्या तह0 गंगापुर सिटी
3. मंगली पुत्री मूल्या, बैरवा निवासी जीवली तह0 गंगापुर सिटी
4. सम्पति पुत्री मूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री संतोष कुमार वर्मा , एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 1 की ओर से
श्री कृष्णगोपाल शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 2,3,4 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सहखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हॉल ख0न0 449/2151 रकबा 0.22 है0, ख0न0 565/2190 रकबा 0.62 है0, ख0न0 745 रकबा 0.92 है0, ख0न0 1827 रकबा 0.60 है0 ग्राम चूली मे स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने उक्त खसरों मे मौखिक रूप से अपने अपने हिस्से अनुसार पृथक पृथक बंटवारा कर रखा है। जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण काश्त कर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं जिन्हे कानून की कोई परवाह नही है। राजस्व रिकार्ड मे भूमि सहखातेदारी मे दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादीगण के कब्जे काश्त मे दखल देते रहते है। भूमि के सहखातेदारी मे बने रहने से वादी के हितो पर विपरित असर पडता है। दिनांक 22.4.19 को वादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि की साफ सफाई करवा रहे थे कि तभी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 आये और वादीगण से झगडा फसाद करने को तैयार हो गये तथा वादीगण को धमकी देने लगे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वादीगण को ना तो उनके हिस्से की भूमि की सफाई करने देगें ओर ना ही फसल से लाभान्वित होने देगें। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य उनके हिस्से एवं कब्जे अनुसार पृथक पृथक रूप से ग्राम चूली मे स्थित भूमि ख0न0 449/2151 रकबा 0.22 है0, ख0न0 565/2190 रकबा 0.62 है0, ख0न0 745 रकबा 0.92 है0, ख0न0 1827 रकबा 0.60 है0 का विभाजन

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजामहत पैदा नही करे और ना ही किसी दीगर से करावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया और अपने जबाब मय काउन्टर क्लेम मे अंकित किया है कि ग्राम चूली मे विवादित भूमि का मौखिक विभाजन हो रखा है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से गलत है जो स्वीकार नही है। प्रतिवादी जबाबदार हमेशा कानून मे विश्वास रखता है तथा आज भी कानूनन अपने हिस्से की भूमि पर ही काबिज काश्त रहकर उसकी फसल से लाभान्वित होता आ रहा है। वादीगण ने जानबूझकर दावे मे सही तथ्यो का वर्णन नही किया है तथा चालाकी से गलत तथ्यों पर दावा पेश किया है। वास्तविकता यह है कि ग्यारसा के दो लडके सिट्टू व मूल्या हैं। सिट्टू के तीन लडके वादीगण व प्रतिवादी संख्या न0 1 हुआ तथा मूल्या के तीन लडकिया प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 पैदा हुई। इसलिए मूल्या ने अपने जीवनकाल मे ही सिट्टू के लडके परसादी अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 को गोद ले लिया तथा गोद की सारी रस्मे की गई। सिट्टू ने परसादी को अपने भाई मूल्या को गोद दिया तथा मूल्या ने वादी को गोद लिया तभी से प्रतिवादी न0 1 मूल्या के यहॉ उसके पुत्र के रूप मे रहकर उसकी व उसकी सम्पत्ति की देखभाल करता आ रहा है। सिट्टू व मूल्या दोनो फौत हो चुके है तथा सिट्टू की सम्पत्ति पर वादीगण काबिज है। मूल्या की सम्पत्ति पर परसादी काबिज हैं जिसे लेकर कभी विवाद नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 जबाबदार मूल्या के यहॉ गोद चला गया तथा सारे सरकारी दस्तावेजात मे उसके पिता का नाम मूल्या दर्ज हो गया परन्तु राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती नही होने के कारण जबाबदार के पिता का नाम आज भी सिट्टू दर्ज चला आ रहा है जबकि जबाबदार गोद चले जाने के कारण मूल्या का दत्तक पुत्र है। जिसकी पुष्टि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे किये दान पत्र से भी होती है। प्रतिवादी न0 1 मूल्या की सम्पूर्ण जायदाद व भूमि का हकदार व अधिकारी हैं इसलिए रिकार्ड मे चले आ रहे अपने पिता के नाम में दुरूस्ती कर परसादी दत्तक पुत्र मूल्या दर्ज कराने की घोषणा कराने का अधिकारी हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज इन्द्राज मे दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। दिनांक 22.4.19 को कोई विवाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य नही हुआ था। वाद कारण वादी को उत्पन्न न होकर प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण द्वारा उक्त मुकदमे के नोटिस मिलने तथा दिनांक 15.5.19 को न्यायालय मे उत्पन्न होने तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर उत्पन्न हुआ। काउन्टर क्लेम अंदर मियाद पेश है। अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्य 1 मय खर्चा, मय रिलीफ खारिज होने योग्य है तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादी न0 1 इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि ख0न0

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

449/2151 रकबा 0.22 है0, ख0न0 565/2190 रकबा 0.62 है0, ख0न0 745 रकबा 0.92 है0, ख0न0 1827 रकबा 0.60 है0 ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी का मूल्या का दत्तक पुत्र होने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा किये गये दान पत्र के अनुसार प्रतिवादी न0 2 लगायत 4 के नाम दर्ज खातेदारी के स्थान पर सम्पूर्ण भूमि मे 1/2 हिस्से का खातदेार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम परसादी पुत्र सिट्टू के स्थान पर परसादी पुत्र मूल्या, राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की घोषणा की जावे। सिट्टू की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जावे तथा इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। प्रतिवादी संख्या 1 के सम्पूर्ण भूमि मे हिस्से 1/2 का खाता भूमि मे उसके कब्जे के आधार पर मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर पृथक पृथक किया जावें तथा इसी अनुसार दुरूस्ती की जावे। वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रतिवादी संख्या 1 को उसके हिस्से 1/2 की भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे और ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 ने अपने जबाब दावे मे अंकित किया है कि विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की भूमि है तथा मौके पर भूमि का विभाजन हो रखा है लेकिन वर्तमान रिकार्ड मे दर्ज इन्द्राज सही न होकर गलत दर्ज है। रिकार्ड मे परसादी के पिता का नाम सिट्टू दर्ज है जबकि परसादी बचपन मे ही मूल्या के यहा गोद चला गया तथा मूल्या की सम्पूर्ण सम्पत्ति का वारिस है । उसका अपने प्राकृतिक पिता सिट्टू की सम्पति से कोई सम्बन्ध नही है जबकि राजस्व रिकार्ड मे आज गलत इन्द्राज हो रहे है। प्रतिवादी सख्या 1 को वादीगण के साथ सिट्टू का वारिस दर्ज कर रखा है जबकि परसादी के मूल्या के यहॉ गोद चले जाने के कारण उसका सिट्टू की कृषि भूमि या अन्य सम्पत्ति मे कोई हिस्सा शेष नही है। इसलिए राजस्व रिकार्ड मे विवादित भूमि के वादीगण हिस्सा 1/2 के तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 हिस्सा 1/2 के हिस्सेदार है। जबाबदारान की शादियॉ हो चुकी है तथा अपने ससुराल मे प्रसन्नतापूर्वक रह रही है। जबाबदारान को प्रतिवादी संख्या 1 लगातार समय समय पर मानता है तथा समय समय पर सुख दुख मे सगे भाई के बतौर शामिल रहता है। इसलिए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 आगे चलकर भूमि सम्बधित कोई विवाद न हो, इसलिए जबाबदारान ने अपनी खुशी से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रिकार्ड मे दर्ज अंपने हिस्से का दान पत्र तहसील में दर्ज रजिस्टर्ड करवा दिया है। इसलिए मूल्या के स्थान पर जबाबदारान के नाम आई सम्पूर्ण हिस्से की भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी जावें तथा वर्तमान रिकार्ड मे इसी अनुसार दुरूस्ती की जावें। जिससे भाईयो मे या आगे चलकर उनकी संतानो मे कोई विवाद न हो तथा भूमि का विभाजन कर हिस्सा 1/2 की भूमि वादीगण व हिस्सा 1/2 की भूमि

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रतिवादी संख्या 1 के नान दर्ज कर खाते पृथक पृथक कर दिये जावें। न्यायालय यदि भूमि का विभाजन करे तो वादीगण के खाते मे हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 के खाते मे हिस्सा 1/2 भूमि की खातेदारी दर्ज कर विवादित भूमि का मीट्स एव बाउण्डस के आधार पर मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन कर दिया जावे। इसमे जबाबदारान की सहमति है।

वादपत्र के साथ वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2070–73 प्रस्तुत की है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब मय काउन्टर क्लेम के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2070–73, छायाप्रति दानपत्र दिनांक 4.1.18, फोटोकॉपी आधारकार्ड परसादी, फोटोकॉपी राशनकार्ड परसादी, फोटोकॉपी वोटर आईडी परसादी, फोटोकॉपी भामाशाह कार्ड पेश किये है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने दिनांक 4.10.2019 को हाजिर अदालत होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। इस राजीनामे मे पक्षकारो ने अंकित किया है कि विवादित भूमि ख0न0 449/2151, 565/2190, 745, 1827 ग्राम चूली मे वादीगण का 1/2 हिस्सा है, क्योकि वादीगण का भाई प्रतिवादी सख्या 1 मूल्या के यहॉ गोद चला गया था तथा उसकी चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज काश्त है तथा समस्त सरकारी दस्तावेज मे भी उसके पिता का नाम मूल्या दर्ज है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के रूप मे दर्ज सिट्टू के स्थान पर दत्तक पुत्र मूल्या दर्ज कर दिया जावे तथा सम्पूर्ण भूमि मे से वादीगण का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता का नाम दत्तक पुत्र मूल्या दर्ज करते हुए हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जावे, क्योकि प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 द्वारा भूमि मे अपने हिस्से का दान पत्र प्रतिवादी संख्या 1 परसादी पुत्र मूल्या के रूप मे ही पंजीबद्ध करवा दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 भी परसादी दत्तक पुत्र मूल्या दर्ज करने मे सहमत है। अतः मुताबिक राजीनाम काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री कर दिया जावें।

प्रकरण मे बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने राजीनामे के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे वादीगण का 1/6, 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज है। राजीनामे मे पक्षकारो ने अंकित किया है प्रतिवादी परसादी मूल्या के बचपन मे गोद चला गया था एवं मूल्या की सम्पत्ति पर काबिज है। इसलिए भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 परसादी के पिता का नाम सिट्टू के स्थान पर दत्तक पुत्र मूल्या दर्ज करते हुए 1/2 हिस्से की भूमि इसके नाम दर्ज कर दी जावें। क्योकि प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 ने उनके हिस्से की भूमि का दान पत्र

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रतिवादी परसादी के नाम कर दिया है। साथ ही भूमि मे 1/2 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जावें। प्रस्तुत अभिलेख एवं राजीनामे के अनुसार वादीगण का वाद तथा प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद तथा प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम वरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख0न0 449/2151 रकबा 0.22 है0, ख0न0 565/2190 रकबा 0.62 है0, ख0न0 745 रकबा 0.92 है0, ख़0न0 1827 रकबा 0.60 है0 ग्राम चूली मे वादीगण को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी परसादी दत्तक पुत्र मूल्या जाति बैरवा निवासी छाहरा तह0 गंगापुर सिटी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे उपरोक्त भूमि के वर्तमान मे इन्द्राज निरस्त किये जाकर उपरोक्त घोषणा अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 28-2-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. कंचन पुत्र सिट्टू, बैरवा निवासी छाहरा तह0 गंगापुर सिटी
2. बाबूलाल पुत्र सिट्टू, बैरवा निवासी छाहरा तह0 गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. परसादी पुत्र सिट्टू, बैरवा निवासी छाहरा तह0 गंगापुर सिटी
2. बाडा पुत्री मूल्या, बैरवा निवासी बैरवा बस्ती, कांकर की ढाणी विदरख्या तह0 गंगापुर सिटी
3. मंगली पुत्री मूल्या, बैरवा निवासी जीवली तह0 गंगापुर सिटी
4. सम्पति पुत्री मूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —49/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री संतोष कुमार वर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री सतीश कुमार शर्मा, श्री कृष्णगोपाल शर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद तथा प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम वरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख0न0 449/2151 रकबा 0.22 है0, ख0न0 565/2190 रकबा 0.62 है0, ख0न0 745 रकबा 0.92 है0, ख0न0 1827 रकबा 0.60 है0 ग्राम चूली मे वादीगण को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी परसादी दत्तक पुत्र मूल्या जाति बैरवा निवासी छाहरा तह0 गंगापुर सिटी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे उपरोक्त भूमि के वर्तमान मे इन्द्राज निरस्त किये जाकर उपरोक्त घोषणा अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28-2-2020 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्चा		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.03.16 12:07:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: